



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 550 राँची, सोमवार,

2 नवम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर, 2020

विषय:- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत बिरसानगर-बागूनहातु जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रू० 30,19,39,000/- (तीस करोड़ उन्नीस लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

जापांक- 05/न०वि०/जला-10/2015-2629-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे अपने आय स्रोत से मौलिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं।

2. जमशेदपुर अ०क्षे०से० अंतर्गत बिरसानगर-बागूनहातु जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2005-06 में 2090.00 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत्यादेश संख्या-15, दिनांक 21.07.2006 द्वारा प्रदान की गई थी। योजना का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

3. अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक-506 दिनांक-16.02.2010 द्वारा इस जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षण हेतु प्राक्कलन समर्पित किया गया, जिसकी प्राक्कलित राशि 28,67,72,800/- रुपये थी, जो मूल प्राक्कलित राशि से 37.21% अधिक थी। इसके तहत पूर्व से अनाच्छादित भाग बिरसानगर जोन न०-7 एवं 8, बिरसानगर वार्ड न०-17 अन्तर्गत वास्तु विहार (WTP) एवं बागुनहातू क्षेत्र को भी

शामिल किया गया। विभागीय पत्रांक-1301, दिनांक-20.03.2010 के द्वारा पुनरीक्षण का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया तथा विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या-1399 दिनांक-31.03.2010 द्वारा रुपये 28,67,72,800/- पर प्रथम पुनरीक्षण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

4. योजना की प्रगति एवं निकाय/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की माँग के आलोक में कुल नौ किशतों में कुल राशि 28,67,72,800/- रुपये दिनांक-16.05.2011 तक उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो प्रथम पुनरीक्षण के तहत स्वीकृत राशि का शतप्रतिशत है।

5. पुनः विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स० के पत्रांक-584, दिनांक-11.03.2016 द्वारा योजना के द्वितीय पुनरीक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-224, दिनांक-26.02.2016 को अग्रसारित करते हुए रु० 30,19,39,000/- (तीस करोड़ उनीस लाख उनचासी हजार रुपये) का द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित किया गया है एवं प्रतिवेदित किया गया है कि योजना हेतु वियर का निर्माण कार्य लघु वितरण प्रमंडल संख्या-03, मानगो के द्वारा किया गया, जिसके लिए कुल 72,46,625/- (बहत्तर लाख छियालीस हजार छह सौ पच्चीस) रुपये भुगतान लंबित है। लागत बढ़ जाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। द्वितीय पुनरीक्षण से प्राप्त होने वाली राशि से उक्त योजना हेतु निर्मित वियर के लिए भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

6. योजना से संबंधित मूल स्वीकृति, प्रथम तथा द्वितीय पुनरीक्षण के प्रस्ताव की अवयववार/घटकवार तुलनात्मक विवरणी निम्नवत् है:-

Sl No.	Item to works	Sanctioned Cost	1st Revised Cost	2nd revised Cost-Proposal
1	Intake well cum raw water pump house, flood protection, channel, gangway, Diversion of Nala	2357000	17340955	17340955
2	Construction and development of approach road	5000000	5000000	5000000
3	Raw water pumping machinery	2550000	2647410	2647410
4	Clear water pumping machinery	4540000	4713428	4713428
5	Water treatment plant	20790000	21584178	21584178
6	RCC, ESR Original-5 Nos, Revised-7 Nos.	7975000	12522834	12522834
7	Construction of ground service reservoir	1920000	1993344	1993344
8	Power transformer Original-04, revised-07 nos.	4475000	8003245	8003245
9	Raw water rising main original main original-300 mtr, Revised 710 mtr.	2391476	6673196	6673196
10	Clear water rising main original-8.995 km, revised 60.685 km.	28020263	45429939	45429939
11	Distribution main Original qty. 51.45 km, revised 1896 mtr	74735330	97069545	97069545
12	Twin type staff quarter-14 units.	5453137	5744973	5744973
13	Construction of boundary wall original-500 mtr, revised 1896 mtr.	793841	5885516	5885516
14	Boulder pitching over embankment of river.	0	1358791	1358791
15	RCC (1:2:4) thrust block for pipe line	0	212960	212960
16	Drawing/supply HT line from electric deptt. Power grid to WTP (scheme)	9964000	12896024	12896024
17	Construction of RCC weir at Head work site.	29255800	33202105	48218210
18	Cost of land acquisition	500000	500000	500000
19	Providing water meter at each zone.	500000	660000	660000
20	Add contingency 1%	2012208	2834384	2984545
21	Consultancy fee	500000	500000	500000
22	Excess amount	5266945	0	0
	Total-	209000000	286772827	301939093
	Say-		286772800	301939000

7. पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के संबंध में मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पत्रांक-208 (SDO), दिनांक-26.05.2020 में प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक M/s S.J. Engicon द्वारा कराये गये कार्य की कुल बकाया राशि 1,51,66,200/- (एक करोड़ इकावन लाख छियासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र है।
8. उपरोक्त वर्णित द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की कुल राशि रु. 30,19,39,000/- (तीस करोड़ उनीस लाख उनचालीस हजार रुपये) प्रथम पुनरीक्षण प्राक्कलन की कुल राशि 28,67,72,800/- रु० से कुल 1,51,66,200/-रु० अधिक है।
9. WP(C)-776/2020 (M/s S.J. Engicon Vrs. State) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.02.2020 को पारित आदेश द्वारा प्रतिवादी सं.-3 (सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग) को निदेश दिया गया है कि भुगतान हेतु दावा के संबंध में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संवेदक M/s S.J. Engicon, अहमदाबाद के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में 03 माह के अन्दर निर्णय लेने का निदेश दिया गया है।
10. M/s S.J. Engicon, अहमदाबाद से दिनांक-27.02.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में भुगतान के दावा के संबंध में दिनांक-20.03.2020 को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में M/s S.J. Engicon, अहमदाबाद के प्रतिनिधि, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर, अ.क्षे.स., कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग की बैठक आहूत की गयी एवं मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कार्यपालक अभियंता, जमशेदपुर प्रमंडल एवं विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर, अ.क्षे.स. को M/s S.J. Engicon, अहमदाबाद के दावे की जांच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।
11. शेष राशि का वहन राज्य योजना मद के निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा:-
माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) विपत्र कोड-48S221780796940679।
12. उक्त के क्रम में मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति यथा राशि रु. 30,19,39,000/- के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
13. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.10.2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
